भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1861
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी

#1861. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में मूल्यांकन और भुगतान हेतु नियुक्त परिसमापक द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या निवेशकों को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिए उक्त सोसायटी की परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो निवेशकों को भुगतान करने के लिए सरकार की क्या योजना है और उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. (ACCSL) में लगभग 18.49 लाख जमाकर्ता हैं ।

(ख) से (ङ): वर्तमान में परिसमापक, ACCSL के नियंत्रणाधीन कोई आस्ति नहीं है । बैंक खाते सहित सोसायटी की सभी आस्तियों/संपत्तियों को आयकर प्राधिकरण, प्रवर्तन निदेशालय (ED), गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO) और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) राजस्थान द्वारा अवरोधित किया गया है। परिसमापक, ACCSL ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क संपत्तियों के प्रत्यास्थापन और एनसीएलटी प्रधानपीठ के समक्ष SFIO द्वारा कुर्क संपत्तियों को परिसमापक के पक्ष में विमुक्त करने के लिए याचिकाएं दायर की है। परिसमापक द्वारा ITAT-जोधपुर के समक्ष 3400 करोड़ रुपये की आयकर मांग के विरुद्ध एक अपील दायर की गई है ।

******